न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 123/2022
निर्णय दिनांकः 20.12.2023

1. शंकर लाल यादव पुत्र हरिनारायण यादव
2. शम्भू यादव पुत्र हरिनारायण यादव
   समस्त जाति यादव, निवासीगण मकान नम्बर 1569, अहीरों की इमली, लुहारों का खुर्रा, घाटगेट, जयपुर।
3. सुमन यादव पत्नी अशोक यादव, जाति यादव, निवासी प्लॉट नम्बर 14, सुरजनगर, कालावाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र रामसहाय, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नगरियावाला, प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामू पुत्र सुखा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. रामगोपाल पुत्र घासी, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. भगवान सहाय पुत्र घासी, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. मोहन लाल पुत्र घासी,जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. रामकंवार पुत्र मोतीलाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. रामगोपाल पुत्र घासी,जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. रामप्यारी पत्नी मोतीलाल,जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. रामेश्वर पुत्र मोतीलाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. शंकर लाल पुत्र घासी, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. हनुमान पुत्र मोतीलाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. मैसर्स श्रेष्ठ रियल टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमि. जरिये निदेशक, पंजीकृत कार्यालय बी–1, बैंक ऑफिसर्स कैम्पस, महिमा पनोरमा, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

13. राजकुमारी हरकावत पत्नी पदम चन्द हरकावत, जाति महाजन, निवासी 47, कल्याण कॉलोनी, गौरव टॉवर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर।

14. विजय कुमार शर्मा पुत्र कजोडमल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी 38, चन्द्रकला कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर।

15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली, भू–अभिलेख निरिक्षक गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 499/450 में भूमि खसरा नम्बर 1557 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3398/2439 रकबा 0.1520 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3400/2402 रकबा 0.0440 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.2760 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2372–73 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 11.04.2022 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 3398/2439के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 2440 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है, उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2430, 2431, 2432, 2438 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 एवं 11 है, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 3418/3397, 3419/3397 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 13 है, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 3408/3396 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 14 है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है और उक्त भूमि पर तारबन्दी करना चाहते है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद विवाद नही करे इसलिए प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या [illegible] में [illegible] खसरा नम्बर 3398/2439 रकबा 0.1520 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा [illegible]20 हैक्टेयर ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली, भू–अभिलेख निरिक्षक [illegible] जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.04.2022 के अनुसार [illegible] इमदादे स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 06.04.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 1 का तामिल पूर्ण नही होने से पुनः नोटिस पेश करने के आदेश किये गये। दिनांक 01.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3398/2439 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है, प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3398/2439 रकबा 0.1520 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.1520 हैक्टेयर ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली, भू-अभिलेख निरिक्षक गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान-रिपोर्ट आदेश दिनांक 11.04.2022 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:42 IST
Reason: SelfAttested